

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अपर निदेशक ग्रेड-2,
पशुपालन विभाग,

संख्या-60 / सा0-2/XII-515/2012/(भाग-2)

दिनांक 12-01-2016

विषय: पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-59/सा0-2/XII-515/2012/(भाग-2) दिनांक 12.01.2016 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप आप द्वारा पूर्व में प्रेषित निम्न पंजीकृत गौशालाओं के प्रस्ताव की छाया प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है, कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए तत्काल समिति एवं जिलाधिकारी की सुस्पष्ट आंख्या/संस्तुति सहित पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अंदर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें, जिससे की प्रस्ताव यथोक्त धनराशि को अवमुक्त करने हेतु शासन को प्रेषित किया जा सके।

1-

2-

3-

4-

5-

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार प्रस्ताव

भवदीय,

(डा0 राजेश बाबू)

निदेशक।

प्रशासन एवं विकास

संख्या / सा0-2/XII-515/2012/(भाग-2)

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अध्यक्ष/सचिव उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग इन्दिरा भवन, लखनऊ।

(2) अनुसचिव, पशुधन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-3386/सैतीस-2-2015-5(3)/14 दिनांक 08 जनवरी, 2016 के अनुक्रम में प्रेषित।

(डा0 राजेश बाबू)

निदेशक।

प्रशासन एवं विकास